तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.2018	अधिवक्ता अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट उप.। अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम गोदावस के खसरा नम्बर 23 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि किस्म बारानी सोयम की आराजी का अप्रार्थी के हक में तहसीलदार पाली के नामान्तरकरण संख्या 760 स्वीकृत दिनांक 06.12.2010 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि पूर्व में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील रेकर्ड के अभाव में पेश की थी। जिसके संबंध में अब आवंटन की जानकारी होने से अपीलाण्ट द्वारा अलग से आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटन खारीज कराने हेतु अलग से आवेदन पेश करेंगे। इस संबंध में अपील पुनः आवंटन खारीज कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उनके अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए Not Press में खारिज फरमावें। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि तहसीलदार पाली द्वारा रेस्पोडेण्ट के हक में नामान्तरकरण संख्या 760 दिनांक 06.12.2010 तहसीलदार पाली के आवंटन आदेश की पालना में भरा गया है, वह नियमानुसार सही है। अपीलाण्ट नामान्तरकरण अपील कर आवंटन खारिज कराने का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है। जो विधि सम्मत नहीं है। नामान्तरकरण खारिज भी किया जाता है तो आवंटन बहाल रहता है। इस प्रकार अपील विधी सम्मत उपचार नहीं होने से अपील अपीलाण्ट खारीज फरमावें। अपीलाण्ट Not Press में खारिज करवाना चाहते है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। अधिवक्ता अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र पर का अवलोकन किया गया, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र अनुसार उनके द्वारा पुनः नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा किए गए आवंटन को खारिज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकारी को सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलाण्ट जरिये Not Press खारिज की जाती है। तहसीलदार पाली को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण संख्या 760 दिनांक 06.12.2010 लौटाया जावे। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर पाली (राज.) जिला कलेक्टर, पाली	